इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2024—आषाढ़ 27, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

PHME-0460-2024-सत्रह-M-1 भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबधित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम,1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) इन नियमों में जहां कही भी शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" आए हो के स्थान पर, शब्द "लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा" स्थापित किए जाए।

(2) अनुसूची—एक में,—
(एक) अनुक्रमांक 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

अनुकमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट)	21	तृतीय श्रेणी	42700—135100	क्षेत्रीय संचालक
81	परामर्शदाता (काउंसलर)	08	तृतीय श्रेणी	42700—135100	क्षेत्रीय संचालक
82	शल्य किया तकनीशियन (ओ.टी.टेक्नीशियन)	143	तृतीय श्रेणी	25300—80500	क्षेत्रीय संचालक
83	वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक (सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट)	17	चतुर्थ श्रेणी	18000—56900	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
84	चिकित्सालय सहायक (हॉस्पिटल असिस्टेंट)	524	चतुर्थ श्रेणी	15500—49000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी"

(दो) अनुसूची—एक के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात्:—

टिप्पणी:—1. प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (Indian Public Health Standards-IPHS) मापदंड लागू करने हेतु **अनुक्रमांक—80** पर अंकित भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट), **अनुक्रमांक—81** पर अंकित परामर्शदाता (काउंसलर), **अनुक्रमांक—82** पर अंकित शल्य किया तकनीशियन (ओ.टी.टेक्नीशियन) **अनुक्रमांक—83** पर अंकित वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक (सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट) एवं **अनुक्रमांक—84** पर अंकित चिकित्सालय सहायक (हॉस्पिटल असिस्टेंट) नवीन पदों को सृजित करना प्रस्तावित है।

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलिपिकीय, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से संबंधित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1989 में उल्लेखित **कमशः** **अनूसूची—एक** के अनुकमांक 36 (अ) प्रयोगशाला परिचर (चिकित्सालय) एवं अनुक्रमांक 75 — शल्यकिया कक्ष परिचर (ओ.टी.अटेन्डेन्ट) **अनूसूची—चार** के अनुक्रमांक 36 वार्डबाय, आया एवं अनुक्रमांक 40 — अंधकक्ष परिचर के पदों को समाहित किये जाने विषयक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

3. विभागीय भर्ती नियम—1989 (तृतीय श्रेणी) के अंतर्गत पुराने पदों एवं नवीन पदों पर सीधी भर्ती, पदोन्नति, आरक्षण, आयु एवं शिथिलता संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा वर्तमान स्थिति में एवं समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत की जाएगी।

(3) अनुक्रमांक 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

अनुकमांक	**सेवा में सम्मिलित पद का पदनाम**	**पदो की संख्या**	**भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत**		
			सीधी भरती द्वारा (देखिये नियम 6(क)) प्रतिशत	**सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (देखिये नियम 6(ख)) प्रतिशत**	**अन्य सेवाओं से अस्थाई स्थानांतरण द्वारा (देखिये नियम 6(ग)) प्रतिशत**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट)	21	100 प्रतिशत	—	—
81	परामर्शदाता (काउंसलर)	08	100 प्रतिशत		
82	शल्य किया तकनीशियन (ओ.टी.टेक्नीशियन)	143	100 प्रतिशत	—	—
83	वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक	17	—	100 प्रतिशत	—
84	हॉस्पिटल असिस्टेंट	524	100 प्रतिशत	—	—

(4) अनुसूची–तीन में अनुक्रमांक 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:–

अनुकमांक	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम् आयु सीमा	आवश्यक अर्हताए	टिप्पणियॉ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"43	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) (बी. पी.टी.) 2. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।	
44	परामर्शदाता (काउंसलर)	18 वर्ष	40 वर्ष	मास्टर ऑफ सोशल वर्कर (एम.एस. डब्ल्यू.) एवं पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एण्ड फैमिली थैरेपी (पी.जी. डी.सी.एफ.टी.)	
45	शल्य किया तकनीशियन (ओ.टी.टेक्नीशियन)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ) 2. ओ.टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।	
46	हॉस्पिटल असिस्टेंट	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।	

(5) अनुसूची–चार में अनुक्रमांक 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:–

अनुकमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हैं	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हैं	आवश्यक अनुभव एवं अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	चिकित्सालय सहायक (हॉस्पिटल असिस्टेंट)	वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक (सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट)	5 वर्ष	संभाग स्तर पर 1. क्षेत्रीय संचालक, (संभाग) – अध्यक्ष, 2. उप स्वास्थ्य संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, (मलेरिया) – संभाग 3. जिला कुष्ठ अधिकारी – सदस्य 4. जिला मलेरिया अधिकारी (मुख्य कार्यालय)–सदस्य"

(6) अनुसूची—पांच में,—

(एक) कॉलम क्रमांक (1) में, अनुक्रमांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

जिला स्तर
(1)
"13. वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक (सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट)
14 चिकित्सालय सहायक (हॉस्पिटल असिस्टेंट)"

(दो) कॉलम क्रमांक (2) में, अनुक्रमांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

संभाग स्तर
(1)
"30 वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक (सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट)
31 परामर्शदाता (काउंसलर)
32 शल्य किया तकनीशियन (ओ.टी.टेक्नीशियन)"

PHME-0460-2024-XVII-M-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department Non-Ministerial (related to the Directorate of Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 1989, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) Throughout the rules, for the words, "Public Health and Family Welfare", wherever they occur, the words, "Public Health and Medical Education" shall be substituted.

(2) In Schedule-I,-

(i) after serial number 79 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-

S. No.	Name of post included in the service	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80.	Physiotherapist	21	Class-III	Level 10 42700-135100	Regional Director
81.	Counselor	8	Class-III	Level 10 42700-135100	Regional Director
82.	Operation Theatre Technician	143	Class-III	Level 5 25300-80500	Regional Director
83.	Senior Hospital Assistant	17	Class-IV	Level 3 18000-56900	Chief Medical and Health Officer
84.	Hospital Assistant	524	Class-IV	Level 1 15500-49000	Chief Medical and Health Officer.".

(ii) after the Schedule-I, the following Notes shall be added, namely:-

Note :1. To apply the criteria of the Indian Public Health Standards (IPHS) in the health institutions of the State, it is proposed to create new posts which are marked at S. No. 80. Physiotherapy, S. No. 81 Counselor, S. No. 82 Senior Hospital Assistant, S. No. 84 Hospital Assistant, respectively.

2. To fill up the posts mentioned in Schedule-IV of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department Non-Ministerial (related to the Directorate of Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 1989 separate directions shall be issued to include them viz. S. No. 36(a) Laboratory Attendant (Hospital), Laboratory Attendant (Pesticides), Laboratory Attendant (Filaria), S. No. 75 – Operation Theatre Attendant, S. No. 36 Ward Boy, Aya and S. No. 40 – Dark Room Attendant.

3. The procedure for direct recruitment, promotion, reservation, age and relaxation shall be done according to the provisions of Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department Non-Ministerial (related to the Directorate of Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 1989 and the directions issued by the General Administration Department and Finance Department, in this behalf, from time to time.

(3) In Schedule-II, after serial number 79 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-

S. No.	**Name of post included in the service**	**Number of posts**	**The number of posts to be filled in**		
			By direct recruitment [vide rule 6(a)] percentage	**By promotion of the members of the service [vide rule 6(b)] percentage**	**By temporary transfer of persons from other services [vide rule 6(c)]**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80.	Physiotherapist	21	100 %	----	----
81.	Counselor	08	100 %	----	----
82.	Operation Theatre Technician	143	100 %	----	----
83.	Senior Hospital Assistant	17	----	100 %	----
84.	Hospital Assistant	524	100 %	----	----.".

(4) . In Schedule-III, after serial number 42 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-

S. No.	Name of post included in the service	Minimum age limit	Maximum age limit	Essential Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Unreleased Cadre:-					
"43.	Physiotherapist	18 years	40 years	1. Bachelor of Physiotherapy 2. Live registration of Madhya Pradesh Para Medical Council	----
44.	Counselor	18 years	40 years	Master of Social Work (M.S.W.) and Post Graduate Diploma in Counseling And Family Therapy (P.G.D.C.F.T.)	----
45.	Operation Theatre Technician	18 years	40 years	1. 12th Class pass in 10+2 education system with Biology, Chemistry and Physics. 2. Must have passed Diploma of Operation Theatre Technician. 3. Live registration of Madhya Pradesh Para Medical Council	----
46.	Hospital Assistant	18 years	40 years	Must have passed 8th Class Examination.	----."

(5) In Schedule-IV, after serial number 44 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

S. No.	Name of post from which the promotion is to be made	Name of post to which the promotion is to be made	Essential experience and qualifications	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"45.	Hospital Assistant	Senior Hospital Assistant	5 years	On Divisional level: 1. Regional Director, (Division) -Chairman 2. Deputy Director, Health Services, (Malaria) - Member 3. District Leprosy Officer- Member 4. District Malaria Officer (Main Office) - Member.".

(6) In Schedule-V,-

(i) in Column No. (1), after Serial Number 12 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-

District Level
(1)
"13. Senior Hospital Assistant
14. Hospital Assistant.".

(ii) in Column No. (2), after Serial Number 29 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-

Divisional Level
(2)
"30. Senior Hospital Assistant
31. Counselor
32. Operation Theatre Technician.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.